



e-ISSN:2582-7219



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 5, Issue 6, June 2022



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.54



6381 907 438



6381 907 438



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com



आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

Dr. Salini Sengar

MA (Sanskrit), Ph.D, Dr. BR Ambedkar University, Agra, India

सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखेगी। इसके कारण ही सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके दोबारा सत्ता में आई है। नए गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को सुरक्षाबलों को साफ निर्देश दिए हैं कि उनपर किसी भी आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और वह जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखें। गृह मंत्रालय का कहना है कि नीति परिणाम देने वाली है। इस साल के पहले पांच महीनों के दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने 101 आतंकियों को मार गिराया था। जिसका मतलब है कि औसतन हर महीने 20 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस सफलता के बावजूद घर के अंदर पनप रहे आतंकवाद को नियंत्रण में नहीं लाया जा सका है। एक वरिष्ठ आधिकारी ने कहा, 'लगभग 50 युवा विभिन्न आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं और यह चिंता का विषय है।'

जम्मू कश्मीर के दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कैप पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने सैनिक सम्मेलन में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम मेरे तीन दिन के जम्मू-कश्मीर के दौरे का अंतिम कार्यक्रम है। मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रम आज का और अभी का है

मैं मानता हूँ कि आप लोग -43 डिग्री तापमान से +43 डिग्री तापमान में 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग-अलग मुस्तैद हैं, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। 2014 को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश तेजी से विकास के रास्ते पर रहा है। हम सभी का भरोसा है कि कुछ ही समय में दुनिया के सभी अर्थतंत्र में भारत का स्थान मजबूत से मजबूत जगह पर होगा।

परिचय

अमित शाह ने कहा कि आज मैं यहां आया हूँ, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अलग प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का फैसला किया है। भारत के सभी लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है, जब हम देश को गलत दृष्टि से देखने वालों से सुरक्षित कर दें और वो कार्य आप लोगों को करना है, हम सभी को करना है।[1,2]

NIA आंतरिक सुरक्षा के एक अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र को बड़ी ही मुस्तैदी और दक्षता के साथ संभाल रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि एनआईए को ऐसे अपराधों की जांच करनी होती है जहां साक्ष्य और प्रमाण मिलने में दिक्कत होती है लेकिन फिर भी NIA ने दोषसिद्धि की जो उपलब्धि हासिल की है वह देशभर की पुलिस और आतंकवादी विरोधी सभी एजेंसियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मैं इसके लिए सम्पूर्ण एनआईए परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ

अमित शाह ने कहा कि किसी भी संस्था के लिए 13 साल का कालखंड शिशु अवस्था के समान होता है लेकिन देश के गृह मंत्री के नाते मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि NIA ने बहुत ही अल्प समय में 90 प्रतिशत से अधिक दोषसिद्धि दर के साथ 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' सेट किये हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टेरर फ्री भारत और शत प्रतिशत जीरो टोलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करने में NIA की बहुत बड़ी भूमिका है।

गृह मंत्री ने कहा कि मैं पूरे NIA परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूँ (Government of India Zero Tolerance Policy Against Terrorism) कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। इसमें NIA को जो भी सहायता चाहिए भारत सरकार उसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और आज दुनियाभर में हर क्षेत्र में इस प्रकार की



स्थिति का निर्माण हुआ है कि भारत के बिना विश्व के लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ और सुनिश्चित रहे।

कश्मीर के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 और 35ए हटाया गया, तब ढेर सारी अटकलें हिंसा की लगाई जाती थी, लेकिन आप सभी की मुस्तैदी के कारण कहीं पर किसी को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा विषय है. देशहित में कश्मीर के लिए इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी जिस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने यहां मोर्चा संभाला, बिना रक्तपात के कश्मीर के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है.

अधिकारी के अनुसार अगले पांच सालों में कट्टरपंथी विचारों को खत्म करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमें इस मुद्दे को सुरक्षा पहलू से नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दे को तौर पर देखना चाहिए। नए विचारों के बारे में सोचा जाना चाहिए जिससे कि युवा कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित न हों।' सोमवार को आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाई बैठक में शाह को रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति के बारे में बताया गया।[3,4]



भारत के 14वें प्रधानमन्त्री: नरेन्द्र दामोदरदास मोदी

पिछले साल इस दौरान सरकार ने आतंकवादी निरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई थी। लेकिन युद्धविराम के दौरान आतंकियों ने 18 ग्रेनेड हमले किए थे जिसमें 31 लोग घायल हो गए थे। कुल मिलाकर 37 हमले किए गए थे जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए थे। वहीं इस साल केवल तीन ग्रेनेड हमले हुए हैं। कुलमिलाकर सात आतंकी हमले हुए हैं जिसमें तीन लोगों की मौत और एक घायल हुआ है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है, दुनिया में अगर इस अभिशाप का सबसे बड़ा किसी ने दर्द झेला है तो वह हमारे देश ने झेला है। आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए आतंकवाद का समूल नाश मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, एनआईए को दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

शाह ने कहा कि एनआईए ने विगत 7 सालों में अनेक कठिन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है और मैं जम्मू कश्मीर का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ना एक बात है मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ देना दूसरी बात है, अगर उसे उखाड़ कर फेंकना है तो हमें टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, एनआईए ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की दिशा में बहुत बड़ी सहायता की है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अगले दो महीनों में पार्टी की भावना को आकार मिल जाएगा और अमित शाह इससे परिचित हैं। बैठक में उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट कर दिया था।' एक घंटे तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

डोभल, खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन और गृह सचिव राजीव गौबा शामिल थे। आतंकवादी संगठनों द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र के सुदृढीकरण, राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करने, घेराबंदी एवं तलाशी ऑपरेशनों में वृद्धि करने जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर भी कड़ी नजर रखते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जम्मू और कश्मीर सीमा-पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। मई से जून 2018 तक जम्मू और कश्मीर में 400 मुठभेड़ हुए जिसमें 630 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान 85 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने इतनी लंबी लड़ाई आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ लड़ी होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अटल और अडिग है।[5,6]

विचार-विमर्श

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद को हम सहन ही नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं, वो जघन्य अपराध कर रहे हैं। आतंकवाद से लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है।



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

अमित शाह ने कहा, 'अभी-अभी आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा कर देश को आतंकवाद और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।' अमित शाह ने कहा कि हमें यकीन है इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति स्थापित कर पाएंगे। एनएसजी (NSG) के स्थापना दिवस पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि एनएसजी एक स्पेशल फोर्स है और मुझे एनएसजी के वीर योद्धाओं पर बहुत गर्व है। गृहमंत्री ने कहा, 'NSG के कामांडरों को अभी तक तीन अशोक चक्र, दो कीर्ति चक्र, चार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है और यही बताता है कि देश की सुरक्षा में NSG का योगदान कितना महत्वपूर्ण है।' अमित शाह ने कहा कि एनएसजी 2014 से कई नए तकनीकी प्रवर्तन से लैस हुई है, एनएसजी की क्षमताओं को इनसे मदद मिली है, लेकिन हम जानते हैं कि हम केवल कमांडरों की बहादुरी, देशभक्ति और जुनून से ही जीत हासिल कर सकते हैं।[7,8]

Government of India Zero Tolerance Policy Against Terrorism: एनआईए की सजगता के कारण आज आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराने वाले रास्तों पर नकेल कसी गयी है, जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर होते थे, उन पर NIA ने ढेर सारे केस रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सैल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ा काम किया है। एनआईए ने पहली बार 2018 और 2019 में जो केस रजिस्टर किए उनके कारण आज आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराने वाले सरल रास्ते नहीं बचे हैं। इससे उनके लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई दोनों पर एक कठोर आघात हुआ है, जो आतंकवाद की मदद भी करते थे और समाज में सम्मान के साथ जीते थे एनआईए ने ऐसे सभी लोगों को आज अपनी पहचान एक्सपोज करने के लिए मजबूर किया है और उन्हे कानून की अदालत में ले जाकर खड़ा किया है।



एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद और बारूद व रसद मुहैया कराने के मामलों में भी शुरुआत की है और विशेषकर टेरर फंडिंग के साथ-साथ वामपंथी उग्रवादी संगठनों की फंडिंग के मूल तक पहुंचने के कुछ केस एनआईए को दिए गए हैं और आशा है कि उसे जम्मू कश्मीर की तरह इसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। टेरर फंडिंग संबंधित 105 मामले रजिस्टर हुए, 876 आरोपियों के खिलाफ 94 चार्जशीट दाखिल की गईं, 796 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और उसमें से 100 आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया है, यह बहुत बड़ी सिद्धि है।

अमित शाह ने कहा कि सरकार का यह प्रयास रहा है कि सभी राज्यों की पुलिस और एजेंसियों के साथ आतंकवाद संबंधी सभी सूचनाओं को साझा करने में समन्वय स्थापित किया जाए, आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत और पुख्ता बनाया जाए, आतंकवादी विरोधी इंस्टिट्यूशन को ताकत दी जाए और आतंकवादी मामलों में हम शत-प्रतिशत दोष सिद्धि का लक्ष्य लेकर चलें। इन चारों स्तंभों पर आतंकवाद विरोधी अभियान आगे बढ़ सकता है और मुझे हर्ष है कि इन चारों स्तंभों पर एनआईए ने बहुत अच्छे तरीके से प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से 2022 तक देश में आतंकवादी मामलों का यदि विश्लेषण करें तो ढेर सारी घटनाएं जहन में आती हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यवस्था में रिफॉर्म को टिगर करती हैं। मुंबई का आतंकवादी हमला एक ऐसी ही घटना थी जिसके बाद राष्ट्रीय एंटी टेरर एजेंसी बनाई गई, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी एक प्लान बना, टेरर फाइनेंस पर नकेल कसने के लिए सभी एजेंसियां सजग हुईं, टेरर इन्वेस्टिगेशन में भी गुणात्मक सुधार आया है और इंटेलिजेंस व्यवस्थाओं व इंटेलिजेंस के सही समय पर सटीक उपयोग के लिए भी काफी समयबद्ध कार्यक्रम बने हैं। उन्होने कहा कि देशभर की पुलिस और सभी एजेंसियों ने इस बर्बर हमले से सीख लेते हुए आज आतंकवाद विरोधी अभियान को मजबूत किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NIA को बने 13 साल हो गए हैं, इस दौरान 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, 349 से ज्यादा मामलों में चालान दाखिल कर दिया गया है, लगभग 2,494 अपराधियों को पकड़ा गया है, 391 को सजा दिलाने में सफलता मिली है और 93.25 प्रतिशत दोष सिद्धि का रेश्यो रहा है, ये उपलब्धि बहुत अभिनंदन की पात्र है।

उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से एनआईए के सशक्तिकरण के लिए ढेर सारे काम किए गए हैं। हम चाहते हैं कि एनआईए सशक्त और मजबूत बने और दुनिया भर में एनआईए को आतंकवाद विरोधी एजेंसी के रूप में स्वीकृति मिले। उन्होने कहा कि हमने NIA एक्ट और UAPA एक्ट को मजबूत करने का काम किया है। शाह ने कहा कि उन्होने एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन बिल पायलट किया, उसके बाद एनआईए को कई प्रकार के अधिकार मिले।

भारत के बाहर किसी भी आतंकवादी हमले में जहां भारतीय हताहत हुआ हो, उस मामले में जांच करने के अधिकार एनआईए को दिए गए हैं और एनआईए को अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भी स्वीकृति दिलाने का लक्ष्य लेकर उसे सिद्ध करना चाहिए। नए संशोधन में हमने एनआईए को घुसपैठ, विस्फोटक पदार्थ और साइबर अपराध के अधिकार भी दिए हैं। पहले एनआईए को आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार था, अब भारत में पहली बार हमने संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार एनआईए को दिया है और अब तक 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, यह एक नए प्रकार की शुरुआत है।

परिणाम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के 13वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी और समाज में सम्मानपूर्वक रह रहे थे।

शाह ने कहा, आतंकवाद समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, और अगर कोई देश है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो वह भारत है। मानवाधिकार संगठनों के साथ मेरे कुछ मतभेद हैं। जब भी कोई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई होती है, तो कुछ मानवाधिकार समूह इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद से बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो सकता है। यह सबसे बड़ा मानवाधिकारों के उल्लंघन का रूप है। [9,10]

अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकारों के विपरीत नहीं हो सकती। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बेहद आवश्यक है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और भारत से इस खतरे को खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होने कहा कि एनआईए ने टेरर



फंडिंग के मामले दर्ज किए हैं और इन मामलों ने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में काफी हद तक मदद की है।

शाह ने कहा कि पहले टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि 2018 में पहली बार टेरर फंडिंग के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और इस वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है।

शाह ने कहा, 2021-22 में एनआईए ने कई मामले दर्ज किए, जिसने जम्मू-कश्मीर में स्लीपर सेल को नष्ट करने में मदद की। इसने रसद और आपूर्ति श्रृंखला और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने आतंकवाद की मदद की थी और समाज में सम्मानपूर्वक रह रहे थे। एनआईए ने उनका पर्दाफाश किया। यह एक बड़ी बात है। शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना एक बात है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए की गई कार्रवाई दूसरी बात है। हमें जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। इसलिए हमें टेरर फंडिंग के तंत्र को नष्ट करना होगा। एनआईए द्वारा दर्ज जम्मू-कश्मीर के टेरर फंडिंग मामलों के कारण, आतंक के लिए फंड उपलब्ध कराना अब बहुत मुश्किल हो गया है। [11,12]

अमित शाह ने कहा (Government of India Zero Tolerance Policy Against Terrorism) कि देश की पुलिस जांच पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, अब इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर नहीं बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं है मगर यह परिवर्तन लाना है तो डेटाबेस बनाने पड़ेंगे और डिजिटल फॉरेंसिक में भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। एनआईए को मादक पदार्थ, हवाला ट्रांजैक्शन, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राएं, बम धमाके, टेरर फंडिंग और टेररिज्म इन सात क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम दिया गया है और इसकी बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत भी हुई है।

अगर यह राष्ट्रीय डेटाबेस बनता है (Government of India Zero Tolerance Policy Against Terrorism) तो इससे न केवल राष्ट्रीय एजेंसियों बल्कि देश की पुलिस एजेंसियों को भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में लोकसभा में एक बिल लेकर गए थे जिसमें जेलों को भी इसके साथ हमने जोड़ने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि एक मॉडस ओपरेन्डी ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) बन रहा है उसमें भी एनआईए को जो नए लड़कों को टेररिज्म के साथ जोड़ने की मॉडस ओपरेन्डी है उसकी स्टडी करने में बीपीआरएंडी की मदद करनी चाहिए। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में भी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है।

हम मानते हैं कि ये बहुत पुराने कानून है और इनमें समयानुकूल बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं एनआईए के प्रशिक्षण पर बहुत बल देता था और मुझे आनंद है कि जुलाई 2021 में एनआईए के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकैडमी, हैदराबाद के साथ एक करार किया गया है और यह काम आगे बढ़ गया है। एनआईए को विश्व की अन्य शक्तिशाली एजेंसियों के समान विकसित करने और उसके पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए दो विशेषज्ञों के एक सैल की भी स्थापना की गई है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए देश कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। शाह ने कहा कि देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में NIA को भी अगले 25 साल के लिए अपने लक्ष्य तय करने चाहिए और उनकी सिद्धि का रोडमैप बना चाहिए।

निष्कर्ष

उन्होंने कहा कि अगर सफलता से संतोष की निर्मिति होती है तो आलस्य का निर्माण होता है लेकिन अगर सफलता से और आगे जाने की भूख जगती हो तो संस्थाएं और आगे बढ़ती हैं, इसलिए NIA को अपनी इस सफलता को कंसोलिडेट (Consolidate) और इंस्टीट्यूशनलाइज (Institutionalized) करना चाहिए। शाह ने कहा कि एनआईए एक राष्ट्रीय एजेंसी है और जब तक इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगा, व्यवस्थाएं, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के उपयोग के तरीके संस्थागत नहीं किए जाएंगे तब तक आगे प्रगति संभव नहीं है।



उन्होंने कहा कि सफलता के सों के बारे में न सोची जाए बल्कि सफलता को पद्धति में कन्वर्ट करें, सफलता व्यक्तियों की सफलता नहीं बल्कि संस्थागत सफलता होनी चाहिए।

आतंकवाद समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप

शाह ने कहा, आतंकवाद समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, और अगर कोई देश है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो वह भारत है। मानवाधिकार संगठनों के साथ मेरे कुछ मतभेद हैं। जब भी कोई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई होती है, तो कुछ मानवाधिकार समूह इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद से बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो सकता है। यह सबसे बड़ा मानवाधिकारों के उल्लंघन का रूप है।

आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी

एनआईए और अन्य सुरक्षा संगठनों के अधिकारियों की तालियों के बीच शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकारों के विपरीत नहीं हो सकती। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बेहद आवश्यक है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और भारत से इस खतरे को खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले दर्ज किए हैं और इन मामलों ने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में काफी हद तक मदद की है।[13,14]

शाह ने कहा कि पहले टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि 2018 में पहली बार टेरर फंडिंग के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और इस वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में स्लीपर सेल नष्ट

शाह ने कहा, 2021-22 में एनआईए ने कई मामले दर्ज किए, जिसने जम्मू-कश्मीर में स्लीपर सेल को नष्ट करने में मदद की। इसने रसद और आपूर्ति श्रृंखला और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने आतंकवाद की मदद की थी और समाज में सम्मानपूर्वक रह रहे थे। एनआई ने उनका पर्दाफाश किया। यह एक बड़ी बात है। शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना एक बात है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए की गई कार्रवाई दूसरी बात है। हमें जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। इसलिए हमें टेरर फंडिंग के तंत्र को नष्ट करना होगा। एनआईए द्वारा दर्ज जम्मू-कश्मीर के टेरर फंडिंग मामलों के कारण, आतंक के लिए फंड उपलब्ध कराना अब बहुत मुश्किल हो गया है।[15,16]

संदर्भ

1. "राष्ट्रपति ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 20मई 2014. मूल से 21 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 मई 2014. |
2. ↑ "Narendra Modi appointed Prime Minister, swearing in on May 26". Times of India. 20 मई 2014. मूल से 2 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 मई 2014.
3. ↑ "PM Modi turns 69: A timeline of his political career". Deccan Herald (अंग्रेज़ी में). 2019-09-17. मूल से 15 जनवरी 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-20.
4. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल से 13 अप्रैल 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 11 अप्रैल 2014.
5. ↑ "Live Latest News Headlines at newkerala.com Daily News". www.newkerala.com. मूल से 2014-03-15 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-20.
6. ↑ Marino, Andy (2014-04-06). Narendra Modi: A political Biography (अंग्रेज़ी में). Harper Collins. पृ० 24. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-5136-218-0.
7. ↑ Shekhar, Himanshu (1901). Management Guru Narendra Modi (अंग्रेज़ी में). Diamond Pocket Books Pvt Ltd. पृ० 64. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-288-2803-4.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 4 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
9. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.



10. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 मार्च 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
11. ↑ "गूगल सर्च में भी नरेंद्र मोदी पड़े राहुल गांधी पर भारी". दैनिक जागरण. मूल से 9 अक्टूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अक्टूबर 2013.
12. ↑ "Vote Now: Who Should Be TIME's Person of the Year?". टाइम. मूल से 28 नवंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवम्बर 2013.
13. ↑ "नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की रैली में सुनाई कविता". नवभारतटाइम्स.कॉम. 20 फ़रवरी 2014. मूल से 12 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मई 2014.
14. ↑ "कविता के जरिए नरेंद्र मोदी ने बयां किया दर्द-ए-दिल". आज तक. 27 अप्रैल 2014. मूल से 12 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मई 2014.
15. ↑ "Partywise Trends & Result". मूल से 23 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 मई 2014.
16. ↑ "नरेन्द्र मोदी वाराणसी से चुनाव लडेगे". देशबन्धु. 15 मार्च 2014. मूल से 17 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 मार्च 2104. |



INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor
7.54

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com